

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ श्यामाबाई

-पीबीआर/145

जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक विविध	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
स्थान तथा दिनांक		
15-4-2015	<p>अनावेदक की ओर से श्री आर0 डी0 पटेल, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । उनके द्वारा निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 4026-पीबीआर/14 में दिनांक 8-4-15 को आदेश पारित कर सीमाकन आदेश दिनांक 20-10-14 निरस्त किया गया है । इस कारण आवेदकगण उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है, अतः माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने तक इस न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जाये । अनावेदक की ओर से यह आवेदन पत्र म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है । इस संबंध में उनका तर्क था कि इस आवेदन पत्र को संहिता की धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत करना माना जाये । संहिता की धारा 52 में भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने</p>	